

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र0/BSPTCL-01/2018
सेवा में,

पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के सभी ग्रिड उपकेन्द्रों के रियल टाइम डाटा संचार एवं दूरभाष को बिहार राज्य भार प्रेषण केन्द्र से विश्वसनीय संचार माध्यम द्वारा यथा ओ०पी०जी०डब्ल्यू० माध्यम से जोड़ने हेतु कुल 195.07 करोड़ (एक सौ पंचानवे करोड़ सात लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 39.014 करोड़ (उनचालीस करोड़ एक लाख चालीस हजार) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 156.056 करोड़ (एक सौ छप्पन करोड़ पाँच लाख साठ हजार) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

बिहार राज्य भार प्रेषण केन्द्र के अनुश्रवण की प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु-एवं आपदा की स्थिति में विद्युत की बहाली तुरंत करने में सहायता प्रदान करने हेतु सारे ग्रिड उपकेन्द्र (संचालन एवं निर्माणाधीन) एवं अन्य कार्यों के लिए रिलायवेल कम्यूनिकेशन तथा डाटा एक्ज्यूजीशन के तहत ओ०पी०जी०डब्ल्यू० एवं इससे सम्बंधित फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल यंत्र एवं आर० टी० यू० के साथ ही बैकअप राज्य भार प्रेषण केन्द्र का काम किया जाना है, जिससे की सभी ग्रिड उपकेन्द्रों के रियल टाइम डाटा संचार एवं दूरभाष बिहार राज्य भार प्रेषण केन्द्र में उपलब्ध हो सकेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल प्राक्कलित राशि 195.07 करोड़ (एक सौ पंचानवे करोड़ सात लाख) रुपये अनुमानित है, जिसमें 3569 कि०मी० ओ०पी०जी०डब्ल्यू०, 162 फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल यंत्र, 44 आर० टी० यू०, 60 डी०सी० पावर स्प्लाई सिस्टम तथा एक बैकअप राज्य भार प्रेषण केन्द्र का काम किया जाना है। इस योजना को 2020-21 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के सभी ग्रिड उपकेन्द्रों के रियल टाइम डाटा संचार एवं दूरभाष को बिहार राज्य भार प्रेषण केन्द्र से विश्वसनीय संचार माध्यम द्वारा यथा ओ०पी०जी०डब्ल्यू० माध्यम से जोड़ने हेतु कुल 195.07 करोड़ (एक सौ पंचानवे करोड़ सात लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 39.014 करोड़ (उनचालीस करोड़ एक लाख चालीस हजार) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 156.056 करोड़ (एक सौ छप्पन करोड़ पाँच लाख साठ हजार) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष-190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0105-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र

(5)

कोड-10-4801051900105, विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल०खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120- अन्य निधियाँ, उपशीर्ष- 0044- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-एल० 8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-के० 8448001200044 में जमा की जायेगी।
5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गये पी०एल० खाता संख्या-PLA272 से की जायेगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र०/BSPTCL-01/2018 के पृष्ठ संख्या 09/टि० पर दिनांक 11.07.2018 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- प्र०/BSPTCL-01/2018 के पृष्ठ संख्या-12/टि० पर दिनांक-18.07.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-01/2018-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

पटना, दिनांक- 26/07/2018

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-01/2018-2059

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

Dir (P)
GM (F&A) ✓

पत्रांक-प्र02/विविध-138/2015
सेवा में,

पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: पशुपालन विभाग द्वारा पूर्णियाँ जिला के मरंगा में बकरी पालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र के निर्माणार्थ बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के 132 के0भी0 पूर्णियाँ-धमदाहा संचरण लाईन का विस्थापन हेतु प्राक्कलित राशि 1,47,92,698/- रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1,47,92,698/- (एक करोड़ सैंतालिस लाख बिरानबे हजार छः सौ अठानवे) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद, गुजरात के सहयोग से पशुपालन विभाग द्वारा पूर्णियाँ जिला के मरंगा में बकरी पालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र के निर्माणार्थ बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के 132 के0भी0 पूर्णिया-धमदाहा संचरण लाईन को विस्थापित करने की आवश्यकता है।

2. उक्त आलोक में पशुपालन विभाग द्वारा पूर्णियाँ जिला के मरंगा में बकरी पालन सह प्रजनन प्रक्षेत्र के निर्माणार्थ बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के 132 के0भी0 पूर्णियाँ -धमदाहा संचरण लाईन का विस्थापन हेतु प्राक्कलित राशि 1,47,92,698/- रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1,47,92,698/- (एक करोड़ सैंतालिस लाख बिरानबे हजार छः सौ अठानवे) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं0-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0105-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900105 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200044 में जमा की जाएगी।

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री का अनुमोदन सचिका संख्या-प्र02/विविध-138/2015 के पृष्ठ संख्या-14/टि0 पर दिनांक-24.10.2018 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-प्र02/विविध-138/2015 पृष्ठ संख्या-29/टि0 पर दिनांक-14.12.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/विविध-138/2015

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/विविध-138/2015 3134

/पटना, दिनांक- 18.12.2018

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/BSPTCL-05/2017
सेवा में,

पटना, मिश्रक-



महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार राज्य के अंतर्गत पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा कार्यान्वित 400 के०भी० जी०आई०एस० सब स्टेशन, बख्तियारपुर एवं सम्बन्धित संचरण लाइन के लिए कुल 664.76 करोड़ (छः सौ चौसठ करोड़ छिहत्तर लाख) रुपये का 20% अर्थात् 132.95 करोड़ (एक सौ बत्तीस करोड़ पंचानवे लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप, तथा शेष 80% अर्थात् 531.81 करोड़ (पाँच सौ इकतीस करोड़ इकासी लाख) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में राज्य योजना से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-3494 दिनांक-20.11.2017 के द्वारा बिहार राज्य के अंतर्गत पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा कार्यान्वित 400 के०भी० जी०आई०एस० सब स्टेशन, बख्तियारपुर एवं सम्बन्धित संचरण लाइन के लिए कुल ₹ 664.76 करोड़ (छः सौ चौसठ करोड़ छिहत्तर लाख) की योजना की स्वीकृति एवं कुल स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 132.95 करोड़ (एक सौ बत्तीस करोड़ पंचानवे लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप, तथा शेष 80% अर्थात् 531.81 (पाँच सौ इकतीस करोड़ इकासी लाख) करोड़ रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी। पूर्व में उपलब्ध करायी गई राशि 25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के द्वारा मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक बिहार राज्य के अंतर्गत पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा कार्यान्वित 400 के०भी० जी०आई०एस० सब स्टेशन, बख्तियारपुर एवं सम्बन्धित संचरण लाइन के लिए कुल 664.76 करोड़ (छः सौ चौसठ करोड़ छिहत्तर लाख) रुपये का 20% अर्थात् 132.95 करोड़ (एक सौ बत्तीस करोड़ पंचानवे लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप, तथा शेष 80% अर्थात् 531.81 करोड़ (पाँच सौ इकतीस करोड़ इकासी लाख) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में राज्य योजना से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-05-संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801057890101 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200044 में जमा की जाएगी।

6. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन सचिका संख्या- प्र०/BSPTCL-05/2017 के पृष्ठ संख्या-8/टि० पर दिनांक-07.11.2017 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या- प्र०/BSPTCL-05/2017 पृष्ठ संख्या-22/टि० पर दिनांक-20.02.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-05/2017

/पटना, दिनांक-दनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-05/2017 - 515

/पटना, दिनांक- 21/02/2019

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/BSPTCL-18/2018
सेवा में,

पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय: मेसर्स ACME मगध सोलर प्राइवेट लि० द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के 132/33 के०वी० ग्रीड उपकेन्द्र बाँका में 01 अदद 33 के०वी० लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 46.29 लाख (छियालीस लाख उनतीस हजार) रूपये बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति 2011 के कंडिका 4.2.3 के अंतर्गत स्वीकृति एवं उक्त राशि बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को प्रतिपूर्ति करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

मेसर्स ACME मगध सोलर प्राइवेट लि० द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के 132/33 के०वी० ग्रीड उपकेन्द्र बाँका में 01 अदद 33 के०वी० लाईन 'बे' के विद्युत निर्यात हेतु 10-15 मेगावाट Solar PV Power Plant को संयोजकता प्रदान करने के लिए किया गया है।

2. उक्त आलोक में मेसर्स ACME मगध सोलर प्राइवेट लि० द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के 132/33 के०वी० ग्रीड उपकेन्द्र बाँका में 01 अदद 33 के०वी० लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 46.29 लाख (छियालीस लाख उनतीस हजार) रूपये बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति 2011 के कंडिका 4.2.3 के अंतर्गत स्वीकृत एवं उक्त राशि बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मांग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801057890101 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200044 में जमा की जाएगी।

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(8)

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र0/BSPTCL-18/2018 के पृष्ठ संख्या-04/टि0 पर दिनांक-24.11.2018 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र0/BSPTCL-18/2018 के पृष्ठ संख्या-08/टि0 पर दिनांक-17.12.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र0/BSPTCL-18/2018

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र0/BSPTCL-18/2018 3157

/पटना, दिनांक-24.12.2018

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

रसी।
नित किया
सूरी

73

विहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक:- प्र02/वि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-33/2013 (खंड-1)- 702 पटना, दिनांक- 13-03-19
सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
विहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में विहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि० के अनुपंगी कम्पनियों की पुनरीक्षित लागत 9563.63 करोड़ (नौ हजार पाँच सौ तिरसठ करोड़ तिरसठ लाख रुपये) की स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजनाकाल की परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में विमुक्त की गयी राशि 336.22 करोड़ (तीन सौ छत्तीस करोड़ बाईस लाख) रुपये को आवश्यकतानुसार नॉर्थ विहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को 43.49 करोड़ (तैतालीस करोड़ उनचास लाख) रुपये, साउथ विहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को 92.88 करोड़ (बीरानवे करोड़ अठ्ठासी लाख) रुपये एवं विहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं० लि० को 199.85 करोड़ (एक सौ निन्धावे करोड़ पचासी लाख) रुपये पूंजीगत परियव्य के अंतर्गत निवेश के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 5 परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है जिसमें (1) विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं वितरण के अवरोधों को दूर करने हेतु नॉर्थ विहार में 935.27 करोड़ रुपये और साउथ विहार में 963.88 करोड़ रुपये की योजना फेज-I, कुल 1904.13 करोड़ रुपये (2) विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं वितरण के अवरोधों को दूर करने के लिए नॉर्थ विहार में 2099.50 करोड़ रुपये और साउथ विहार में 1938.50 करोड़ रुपये की योजना फेज-II कुल 4038.00 करोड़ रुपये, (3) विहार में विद्युत उपसंचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-II विस्तार परियोजना 472.53 करोड़ रुपये, (4) विहार में विद्युत संचरण प्रणाली का सुदृढीकरण फेज-III 1958.47 करोड़ रुपये (6) विद्युत नंत्रालय/ग्रामिण विद्युतीकरण निगम (आर0जी0जी0भी0वाई0 के अन्तर्गत) द्वारा स्वीकृत राज्य के 11 जिलों यथा अररिया, बाँका, भोजपुर, गया, किशनगंज, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास एवं सिवान के तनी गाँव, टोलों एवं वसावटों को पूर्णतः विद्युतीकरण की योजना जिसमें नॉर्थ विहार के लिए 337.72 करोड़ रुपये और साउथ बिहार के लिए 499.90 करोड़ रुपये कुल 837.62 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 9210.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति राज्यादेश संख्या-5150, दिनांक 07.11.2013 द्वारा प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त विद्युत संरचना प्रणाली का सुदृढीकरण के लिए विहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को फेज-II "एन-1 अनुपालन" की 291.84 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति राज्यादेश संख्या-2820 दिनांक-04.08.2014 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसे, 80.14 करोड़ रुपये Cost Over Run के कारण हुई वृद्धि के आलोक में पुनरीक्षित करते हुए राज्यादेश संख्या-2453 दिनांक-24.08.2015 के द्वारा 371.98 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है। इस प्रकार स्पेशल प्लान के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 9582.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

mc
DGM (P)
19/03
SM/6
19/03

A/c cash
19/03

72

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यादेश संख्या-2976 दिनांक-25.09.2017 के द्वारा बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० के अनुषंगी कम्पनियों की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत कुल 9582.73 करोड़ रुपये के विरुद्ध कार्यादेश मूल्य 9165.49 करोड़ रुपये में Cost Over Run के कारण हुई 398.14 करोड़ रुपये के वृद्धि सहित पुनरीक्षित लागत 9563.63 (नौ हजार पाँच सौ तिरसठ करोड़ तिरसठ लाख रुपये) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि में से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक कुल 4949.8 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय राज्यादेश संख्या-3281 दिनांक-01.11.2017 के द्वारा कुल 1872.00 करोड़ रुपये, विभागीय राज्यादेश संख्या-494 दिनांक 19.02.2018 के द्वारा 50.00 लाख रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय राज्यादेश संख्या-1465 दिनांक-25.05.2018 के द्वारा 1350.00 करोड़ रुपये अर्थात् कुल राशि 8172.30 करोड़ रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराये गये हैं।

4. वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्पेशल प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44(1)PF-5/2018-19-1537 दिनांक 01.02.2019 द्वारा बिहार सरकार के लिए कुल 739.47 करोड़ रुपये विमुक्त किया गया है, जिसमें से 336.22 करोड़ (तीन सौ छत्तीस करोड़ बाईस लाख) रुपये की राशि योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-1057 दिनांक-27.02.2019 के द्वारा बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत ऊर्जा प्रक्षेत्र की चल रही परियोजनाओं पर व्यय करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, इस राशि की विमुक्ति नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन क० लि० को विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्न प्रकार से किया जाना है:-

राशि करोड़ रुपये में

Sl. NO	Name of Scheme	Amount is to be sanctioned		
		SBPDCL	NBPDCL	BSPTCL
1	Strengthening of Power distribution and removal of Distribution Constraints in North and South Bihar. Phase-I	40.26	4.19	
2	Strengthening of Power distribution and removal of Distribution Constraints in North and South Bihar. Phase-II	17.89	31.47	
3	Strengthening of Distribution system Phase-II Part-C (Aerial Bundle)	5.58	5.08	
4	Full scale electrification of villages in 11 district (RGGVY)	29.15	2.75	
Sanctioned Durring 11th Five Year Plan				
1	Strengthening of Sub-/Transmission System Phase-I and Strengthening of Sub-/Transmission System Phase-II, Part-11			199.85
	Total	92.88	43.49	199.85

5. उक्त आलोक में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में विहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के अनुषंगी कम्पनियों की पुनरीक्षित लागत 9563.63 करोड़ (नौ हजार पाँच सौ तिरसठ करोड़ तिरसठ लाख रुपये) की स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजनाकाल की परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में विमुक्त की गयी राशि 336.22 करोड़ (तीन सौ छत्तीस करोड़ बाईस लाख) रुपये को आवश्यकतानुसार नॉर्थ विहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को 43.49 करोड़ (तैतालीस करोड़ उनचास लाख) रुपये, साउथ विहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को 92.88 करोड़ (बीरानवे करोड़ अठ्ठासी लाख) रुपये एवं विहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं० लि० को 199.85 करोड़ (एक सौ निन्यावे करोड़ पचासी लाख) रुपये पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत निवेश के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. 92.88 करोड़ (बानवे करोड़ अठ्ठासी लाख) रुपये बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं०-10, उपशीर्ष-0209 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी० एफ० (राज्य घटक)-(एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए) की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900209 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

उक्त राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, पटना को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या-32933190301 आई०एफ०एस०सी० कोड SBIN0000153 में RTGS के द्वारा की जायेगी।

7. 43.49 करोड़ (तैतालीस करोड़ उनचास लाख) रुपये मांग सं०-10, बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0210 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी० एफ० (राज्य घटक)-(एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए) की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900210 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

उक्त राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, पटना को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या-32942305391 आई०एफ०एस०सी० कोड SBIN0000153 में RTGS के द्वारा की जायेगी।

8. 199.85 करोड़ (एक सौ निन्यावे करोड़ पचासी लाख) रुपये बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं०-10 उपशीर्ष-0208 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी० एफ० (राज्य घटक)-(बी०एस०पी०टी०सी०एल० के लिए) की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900208 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

40) उक्त राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि०, पटना को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या-36552893011, आई०एफ०एस०सी० कोड SBIN0000153 में RTGS के द्वारा की जायेगी।

9. उक्त योजना की पुनरीक्षित स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-33/2013(खण्ड-1) के पृष्ठ संख्या-12/टि० पर दिनांक-6.09.2017 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-33/2013(खण्ड-1) के पृष्ठ संख्या-35/टि० पर दिनांक-06.02.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रस्थय अमृत),

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-33/2013(खंड-1) 702 दिनांक-13-03-19
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-33/2013(खंड-1) 702 दिनांक-13-03-19
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डि० कं० लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डि० कं० लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं० लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/BSPTCL-03/2014
सेवा में,

पटना, मि०



विषय:

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के क्षेत्राधीन कार्यरत 132/33 के०भी० ग्रीड सब-स्टेशनों के क्षमता विस्तारीकरण हेतु 28 अदद 50 एम०भी०ए० पावर ट्रान्सफार्मर स्थापित करने एवं संबंधित 12 अदद 132/33 के०भी० ट्रान्सफार्मर 'बे' के निर्माण हेतु कुल 134.90 करोड़ (एक सौ चौतीस करोड़ नब्बे लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति जिसमें कुल स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 26.98 करोड़ (छब्बीस करोड़ अठानवे लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 107.92 करोड़ (एक सौ सात करोड़ बानवें लाख) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में राज्य योजना से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

बिहार राज्य में विद्युत आपूर्ति की मांग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के क्षेत्राधीन ग्रीड उपकेन्द्रों पर लोड में भी वृद्धि हो रही है। फलस्वरूप स्थापित ट्रान्सफार्मरों को उनकी क्षमता के अनुसार चलाने में कठिनाईयाँ हो रही है। साथ ही, N-1 का भी अनुपालन पूर्णतः नहीं हो पा रहा है।

2. अतएव विद्युत आवश्यकता में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एवं विद्युत संचरण व्यवस्था को सुचारु रखने हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के क्षेत्राधीन विभिन्न ग्रीड उपकेन्द्रों के क्षमता विस्तार हेतु 28 अदद 50 एम०भी०ए० 132/33 के०भी० ट्रान्सफार्मर स्थापित करने एवं 12 अदद 132/33 के०भी० ट्रान्सफार्मर 'बे' के निर्माण किया जाना आवश्यक है। इस योजना के लिए कुल 134.90 करोड़ रुपये व्यय अनुमानित है।

2. उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के क्षेत्राधीन कार्यरत 132/33 के०भी० ग्रीड सब-स्टेशनों के क्षमता विस्तारीकरण हेतु 28 अदद 50 एम०भी०ए० पावर ट्रान्सफार्मर स्थापित करने एवं संबंधित 12 अदद 132/33 के०भी० ट्रान्सफार्मर 'बे' के निर्माण हेतु कुल 134.90 करोड़ (एक सौ चौतीस करोड़ नब्बे लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति जिसमें कुल स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 26.98 करोड़ (छब्बीस करोड़ अठानवे लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 107.92 करोड़ (एक सौ सात करोड़ बानवें लाख) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में राज्य योजना से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-05-संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801057890101 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200044 में जमा की जाएगी।

6. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-03/2014 के पृष्ठ संख्या-28/टि० पर दिनांक-12.02.2019 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-03/2014 पृष्ठ संख्या-31/टि० पर दिनांक-18.02.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-05/2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-दनांक-

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-05/2017 503

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक- 20/02/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-07/2017 के पृष्ठ संख्या-8/टि० पर दिनांक-07.11.2017 को प्राप्त है।
9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-07/2017 पृष्ठ संख्या-16/टि० पर दिनांक-20/02/2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-07/2017

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-07/2017 - 514

/पटना, दिनांक- 21/02/2019

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्यय पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र0/BSPTCL-06/2017

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।



विषय:

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021-22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 400 के०भी० के तीन ग्रिड उपकेन्द्र क्रमशः सीतामढ़ी, सहरसा एवं चन्दौती से सम्बन्धित Downlinking संचरण प्रणाली के निर्माण हेतु 1409.36 करोड़ (चौदह सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख) रुपये की स्वीकृत योजना एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 281.87 करोड़ (दो सौ इक्यासी करोड़ सतासी लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 1127.49 करोड़ (ग्यारह सौ सताईस करोड़ उनचास लाख) रु० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 25.3871 करोड़ (पच्चीस करोड़ अड़तीस लाख इकहत्तर हजार) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में राज्य योजना से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-3488 दिनांक-20.11.2017 के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021-22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 400 के०भी० के तीन ग्रिड उपकेन्द्र क्रमशः सीतामढ़ी, सहरसा एवं चन्दौती से सम्बन्धित Downlinking संचरण प्रणाली के निर्माण हेतु 1409.36 करोड़ (चौदह सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 281.87 करोड़ (दो सौ इक्यासी करोड़ सतासी लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 1127.49 करोड़ (ग्यारह सौ सताईस करोड़ उनचास लाख) रु० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी। पूर्व में उपलब्ध करायी गई राशि 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रुपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2018-19 में 50.00 करोड़ (पचास करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के द्वारा माँग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021-22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 400 के०भी० के तीन ग्रिड उपकेन्द्र क्रमशः सीतामढ़ी, सहरसा एवं चन्दौती से सम्बन्धित Downlinking संचरण प्रणाली के निर्माण हेतु 1409.36 करोड़ (चौदह सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख) रुपये की स्वीकृत योजना एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 281.87 करोड़ (दो सौ इक्यासी करोड़ सतासी लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 1127.49 करोड़ (ग्यारह सौ सताईस करोड़ उनचास लाख) रु० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 25.3871 करोड़ (पच्चीस करोड़ अड़तीस लाख इकहत्तर हजार) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में राज्य योजना से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-05-संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801057890101 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200044 में जमा की जाएगी।

6. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-06/2017 के पृष्ठ संख्या-8/टि० पर दिनांक-07.11.2017 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-06/2017 पृष्ठ संख्या-15/टि० पर दिनांक-20.02.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-06/2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-दनांक-

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-06/2017 - 513

/पटना, दिनांक- 21/02/2019

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र० / BSPTCL-03/2018
सेवा में,

पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु कुल 7 (सात) नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण एवं सारण जिला के एकमा अवस्थित 132/33 KV GSS का विस्तारीकरण एवं संबंधित 220 KV के 612.20 CKM (अनुमानित) एवं 132 KV के 728 CKM (अनुमानित) संचरण लाइन एवं monopole/narrow tower के माध्यम से विभिन्न 220 एवं 132 KV संचरण लाइनों के निर्माण हेतु कुल 2149.35 करोड़ (दो हजार एक सौ उन्चास करोड़ पैतीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 429.87 करोड़ (चार सौ उन्नतीस करोड़ सतासी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 1719.48 करोड़ (सत्रह सौ उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख) रू० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 50.00 करोड़ (पचास करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

बिहार राज्य के अन्तर्गत पटना शहरी क्षेत्र, वैशाली, किशनगंज, नालंदा, समस्तीपुर, अररिया एवं सारण जिलों में निकटतम भविष्य में होनेवाली आधारभूत संरचना के विकास एवं उसके विस्तारीकरण के मद्देनजर बढ़ती विद्युत माँग को पूरा करने हेतु ट्रान्समिशन कम्पनी के अध्ययनोपरांत संचरण प्रणाली के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 2149.35 करोड़ (दो हजार एक सौ उन्चास करोड़ पैतीस लाख) रूपये की योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित रूप से प्रस्तावित है:-

(i) इस योजना के अन्तर्गत एक नये 220/132/33 के०भी० जी०आई०एस० ग्रिड उपकेन्द्र, दीघा (नयी) एवं एक 132/33 के०भी० जी०आई०एस० ग्रिड उपकेन्द्र बोर्ड कॉलनी, पटना में सम्बन्धित 220 के०भी० के 192 सर्किट किलोमीटर एवं 132 के०भी० के 16 सर्किट किलोमीटर (अनुमानित) नयी संचरण लाइन का निर्माण।

(ii) वैशाली जिला के गोरौल में एक नये 2x160+3x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली, किशनगंज जिला के ठाकुरगंज में एक नये 2x160+3x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली, नालंदा जिला के अस्थावाँ में एक नये 2x160+3x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली, समस्तीपुर जिला के ताजपुर में एक नये 2x160+3x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली, पलासी (अररिया) में एक नये 2x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिडसब-स्टेशन तथा सारण जिला में अवस्थित 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन, एकमा का विस्तारीकरण एवं संबंधित 220 के०भी० के 612.20 सर्किट किलोमीटर (अनुमानित) एवं 132 के०भी० के 728 सर्किट किलोमीटर (अनुमानित) संचरण लाइन का निर्माण।

(iii) इसके अलावा monopole/narrow based tower के माध्यम से विभिन्न 220 एवं 132 के०भी० संचरण लाइनों का निर्माण।



2. नालंदा जिले में अस्थावाँ फीडर के overload होने के कारण इस क्षेत्र की विद्युत मांग में काफी वृद्धि हुई है तथा भविष्य में और वृद्धि होने का अनुमान है। इसके अलावा किशनगंज जिले का ठाकुरगंज प्रखण्ड में चाय की फैक्ट्रियाँ अत्यधिक है एवं भविष्य में चावल उत्पादन होने की सम्भावना है, साथ ही निकटवर्ती पश्चिम बंगाल एवं नेपाल के लिए भी वैकल्पिक संचरण श्रोत की उपलब्धता हो जाएगी। अररिया जिले के पलासी क्षेत्र के बड़े हुए माँगों की पूर्ति हेतु वर्तमान में अवस्थित फारबिसगंज ग्रिड सक्षम नहीं है। इसी क्रम में वैशाली जिले का गोरौल प्रखण्ड में विद्युत मांग में काफी वृद्धि हुई है तथा भविष्य में और वृद्धि होने का अनुमान है। कुल मिलाकर वर्तमान में अवस्थित ग्रिड उपकेन्द्र बड़े हुए मांग की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। फलस्वरूप इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध नहीं हो पाती है। साथ ही लाईन की लम्बाई अधिक होने के कारण अधिक लाईन लॉस होती है और लो भोल्टेज की समस्या बनी रहती है। यदा-कदा ब्रेक-डाउन भी होते रहते हैं। अतः इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने के लिए उपरोक्त ग्रिड उपकेन्द्रों की स्थापना आवश्यक है। इस योजना के अंत में पटना शहरी क्षेत्र, वैशाली, किशनगंज, नालंदा, समस्तीपुर, अररिया एवं सारण जिलों में सम्भावित 1100 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उपलब्धता हो सकेगी।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु कुल 7 (सात) नये ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण एवं सारण जिला के एकमा अवस्थित 132/33 KV GSS का विस्तारीकरण एवं संबंधित 220 KV के 612.20 CKM (अनुमानित) एवं 132 KV के 728 CKM (अनुमानित) संचरण लाइन एवं monopole/narrow tower के माध्यम से विभिन्न 220 एवं 132 KV संचरण लाइनों के निर्माण हेतु कुल 2149.35 करोड़ (दो हजार एक सौ उन्चास करोड़ पैतीस लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 429.87 करोड़ (चार सौ उन्तीस करोड़ सतासी लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 1719.48 करोड़ (सत्रह सौ उन्तीस करोड़ अड़तालीस लाख) रु० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 50.00 करोड़ (पचास करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि माँग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801057890101, विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल०खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120- अन्य निधियाँ, उपशीर्ष- 0044- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-एल० 8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-के० 8448001200044 में जमा की जायेगी।

6. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गये पी०एल० खाता संख्या-PLA272 से की जायेगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।